माननीय न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना के समक्ष

ब्रह्म दत्त - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - उत्तरदाता

2010 का सीडब्ल्यूपी संख्या 21732
27 सितंबर 2013

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - आरक्षण - क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर - स्टेयर डिसिसिस का सिद्धांत - याचिकाकर्ता, पिछड़ा वर्ग -ए का सदस्य और एक पूर्व सैनिक भी हैं - हरियाणा राज्य चयन आयोग ने कराधान निरीक्षकों के 38 पदों का विज्ञापन दिया, जिनमें से 4 बीसी-ए श्रेणी के लिए और 1 ईएसएम (बीसी -ए) के लिए आरक्षित हैं - याचिकाकर्ता को ईएसएम (बीसी- ए) श्रेणी में प्रतीक्षा सूची में दिखाया गया है - बीसी-ए श्रेणी के अंतिम उम्मीदवार ने 286 अंक प्राप्त किए - ईएसएम (बीसी-ए) श्रेणी में चयनित उम्मीदवार ने 315 अंक प्राप्त किए - याचिकाकर्ता ने 249 अंक प्राप्त किए - याचिकाकर्ता ने वर्णन किया कि चयनित ईएसएम (बीसी-ए) श्रेणी के उम्मीदवार को लंबवत आरक्षण के कारण बीसी-ए श्रेणी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए - आयोग द्वारा इस वर्णन को खारिज कर दिया गया - सिविल रिट याचिका दायर की गई - रिट स्वीकार हुई - अभिनिर्धारित, सामाजिक आरक्षण समग्र योग्यता के आधार पर अग्रिम सीट पर बना हुआ है, न कि विशेष आरक्षण के बैक बर्नर पर - उत्तरदाता संख्या 4 बीसी-ए श्रेणी में योग्यता में श्रेष्ठ था और बीसी-ए श्रेणी में प्रथम स्थान पाने के योग्य - योग्यता को श्रेणी के अनुसार समझा जाना चाहिए - अभिनिर्धारित, योग्यता सूची में संशोधन किया जाना चाहिए - उत्तरदाता संख्या 4 को बीसी-ए श्रेणी में फिट किया जाना चाहिए - याचिकाकर्ता को वरिष्ठता के साथ ईएसएम (बीसी-ए) श्रेणी पद को प्रस्तुत करना चाहिए - उत्तरदाता संख्या 8 को परेशान नहीं किया जाएगा - उत्तरदाता संख्या 8 की नियुक्ति बिना उसकी गलती के, तीन साल के

बाद रद्द नहीं की जा सकती - उत्तरदाता संख्या 8 को मौजूदा रिक्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा - अभिनिर्धारित किया कि स्टेयर डिसिसिस का मतलब हैं कि अदालत वास्तव में प्रस्तुत तथ्यों पर क्या निर्णय लेती है, न कि मामले से क्या हो सकता है, जब तक कि अदालत सार्वभौमिक अनुप्रयोग के कानूनी सिद्धांत पर निर्णय नहीं लेती।

अभिनिर्धारित, कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि स्टेयर डिसिसिस क्या है, जिसमें अदालत वास्तव में प्रस्तुत तथ्यों पर निर्णय लेती है, न कि मामले से निहितार्थ के आधार पर, जब तक कि अदालत सार्वभौमिक अनुप्रयोग के कानूनी सिद्धांत पर निर्णय नहीं लेती है और उस मामले में अनुपात बाध्यकारी है और सभी न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करना होगा।

(पैरा 17)

अभिनिर्धारित किया कि मुझे लगता है कि अगर विज्ञापित पद ईएसएम (बीसी- ए) या बीसी-ए (ईएसएम) द्वारा भरा जाए तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सामाजिक आरक्षण समग्र योग्यता के आधार पर अग्रिम सीट पर रहता है न कि विशेष आरक्षण के बैक बर्नर पर। राज्य आखिरकार उस संयोजन और उद्देश्य की तलाश कर रहा था जिसे याचिकाकर्ता को नियुक्त किए जाने पर हासिल किया जाना था। उत्तरदाता क्रमांक 4 को क्षैतिज आरक्षण से मुक्त किया जायेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता पिछड़ा वर्ग-ए से है। वह एक भूतपूर्व सैनिक भी है। मेरे विचार से सामाजिक आरक्षण को विशेष आरक्षण पर प्राथमिकता दी जाएगी और यह योग्यता सूची पर हावी होगा और तदनुसार आने वाली नियुक्तियों इसी आधार पर तैयार की जायेगी। देखने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि क्या उत्तरदाता संख्या 4 को पूर्व सैनिक होने के बावजूद सामाजिक आरक्षण में विचार का अधिमान्य अधिकार था। याचिकाकर्ता और उत्तरदाता संख्या 4, दोनों का आरक्षण की एक ही और समान श्रेणी से संबंधित हैं, जो कि आरक्षण के भीतर आरक्षण है या इसे दूसरे तरीके से कहें तो; अनुच्छेद 16 (3) और (4) के तहत सामाजिक आरक्षण को अनुच्छेद 15 के तहत विशेष आरक्षण के साथ जोड़ा गया है। संविधान के अनुच्छेद 16 (3) और (4) द्वारा सक्षम प्रभावी आरक्षण की उपस्थिति में जाति के जन्मचिह्न को बर्बाद

करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह विवादित नहीं है कि उत्तरदाता संख्या 4 ने 315 अंक हासिल किए थे, जबकि पिछले बीसी-ए उम्मीदवार ने 286 (उत्तरदाता नंबर 8) हासिल किए थे। इसलिए, उत्तरदाता नंबर 4 बीसी-ए की श्रेणी में योग्यता में श्रेष्ठ था और बीसी-ए की श्रेणी में पहले स्थान पर रखे जाने का हकदार था। जब उस योग्यता प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो ईएसएम (बीसी-ए) श्रेणी के एक पद की विज्ञापित रिक्ति उत्तरदाता नंबर 4 द्वारा अपने वर्चस्व वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण में ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पर चढ़ने से खाली हो जाएगी। यदि यह सत्य और सही स्थिति होती, तो दिनांक 7.10.1998 के निर्देश याचिकाकर्ता के रास्ते में नहीं आते। भले ही ऐसा हो कि उत्तरदाता नंबर 4 ने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है और कोई रिक्ति खाली नहीं है, लेकिन वर्तमान में रिक्ति खाली रहने या अगली भर्ती प्रक्रिया के लिए पद के उपभोग को आगे बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि क़ानूनन काल्पनिक मानकर, उत्तरदाता नंबर 4 ने ईएसएम (बीसी-ए) के पद का उपभोग नहीं किया है, जिस पर वह वर्तमान में इस याचिका की सफलता की स्थिति में नियुक्त किया गया है। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि राजेश कुमार दरिया का मामला उस मामले में आयोग या राज्य को कैसे मदद करता है। आरक्षण को क्लब करने के मामले में, जो एक व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों आरक्षण का लाभ प्रदान करता है, उसकी ऊर्ध्वाधर स्थिति को पहले इंदिरा साहनी और सभरवाल मामलों के आवेदन द्वारा कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि योग्यता स्वयं एक सापेक्ष शब्द है जिसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं है और इसे वर्ग या समूह की योग्यता के चश्मे से देखा जाता है और वर्गीकरण उसी के अनुसार किया जाता है। योग्यता आमतौर पर निष्पक्ष चयन के लिए अपनाया जाने वाला मानदंड है, लेकिन जब हम राज्य द्वारा एक विशिष्ट श्रेणी या व्यक्तियों के वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण और रियायतों से निपटते हैं, जो कि प्राचीन काल से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े और ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए हैं, फिर योग्यता को श्रेणीवार समझना होगा जब प्रत्येक ऊर्ध्वाधर आरक्षित उम्मीदवार को ओपन जनरल श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने का उचित मौका दिया जाता है तब या योग्यता के अनुसार उसके सामाजिक आरक्षण के भीतर।

(पैरा 17)

अभिनिर्धारित, कि उपरोक्त कारणों से इस रिट याचिका को अनुमति दी जाती है। आयोग द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची (पी-1) को इस आदेश के अनुसार संशोधित करने का निर्देश दिया गया है। नतीजन, चौथे उत्तरदाता को उसकी अपनी सामान्य योग्यता के अनुसार बीसीए श्रेणी में फिट किया जाएगा। इसके बाद उत्तरदाता उपर्युक्त उत्तरदाता संख्या 4 को स्थानांतरित करके याचिकाकर्ता को खाली किए गए ईएसएम (बीसी-ए) श्रेणी के एकल पद की पेशकश करने पर विचार करेंगे। नियुक्ति पर याचिकाकर्ता को अपने बैच के साथियों से वरिष्ठता आदि तो मिलेगी लेकिन ज्वाइनिंग से पहले की अवधि के लिए वेतन नहीं मिलेगा। हालाँकि, इस प्रक्रिया में उत्तरदाता संख्या 8 को परेशान नहीं किया जाएगा। मेरे विचार में उनकी नियुक्ति बिना उसकी गलती के तीन साल बाद रद्द नहीं की जा सकती। इक्विटी को संतुलित करने के लिए यह आदेश दिया जाता है कि उत्तरदाता संख्या 8 को उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग, हरियाणा में कराधान निरीक्षकों के कैडर में मौजूदा रिक्ति के खिलाफ समायोजित किया जाएगा, और यदि यह किसी भी कारण से संभव नहीं है तो एक अधिसंख्य पद के सृजन द्वारा किया जाएगा ।

(पैरा 20)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, अनिल घनघस।

सुनील नेहरा, सीनियर डीएजी हरियाणा।

उत्तरदता नंबर 4 के लिए अधिवक्ता संदीप गोयत।

उत्तरदाता नंबर 8 के लिए अधिवक्ता, अश्वनी अंतिल।

<u>माननीय न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना :</u>

(1) याचिकाकर्ता पिछड़ा वर्ग-ए का सदस्य है, जिस श्रेणी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर हरियाणा सरकार की मौजूदा नीतियों के तहत सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्तियों में आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित है। याचिकाकर्ता संयोगवश भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से भी संबंधित है, जिसके लिए वह अलग से और दोनों श्रेणियों को मिलाकर आरक्षण का हकदार है, जैसा कि इस मामले में ईएसएम (बीसी-ए) श्रेणी के लिए

चिह्नित एकल पद को भरने के लिए विज्ञापित किया गया है। यह ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण का संयोजन है और दो अलग-अलग पहचानों को एक में मिला दिया गया है, जिसने इस न्यायालय के फैसले के लिए वर्तमान विवाद को जन्म दिया है, जहां ईएसएम (बीसी-ए) श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले एक उम्मीदवार ने कई लोगों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं ना कि सिर्फ बीसी-ए श्रेणी में चयनित अंतिम उम्मीदवार से। क्या उसे ऊपर स्थानांतरित किया जाना चाहिए, यह वह प्रश्न है जो उत्तर की तलाश में है।

(2) सबसे पहले तथ्यात्मक पृष्ठभूमि। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 2007 के विज्ञापन संख्या 15 के तहत उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग, हरियाणा में कराधान निरीक्षकों के कुल 38 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इन 38 पदों में से 4 पद पिछड़ा वर्ग-ए श्रेणी के लिए आरक्षित थे। और एक पद ईएसएम (बीसी-ए) के लिए आरक्षित था। याचिकाकर्ता ने ईएसएम (बीसी-ए) श्रेणी के तहत आवेदन किया था।

(3) लिखित परीक्षा 8.9.2010 को आयोजित की गई थी। इसके बाद वाईवा वॉयस हुई। अंतिम परिणाम 8.9.2010 को घोषित किया गया और सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किए गए। याचिकाकर्ता को ईएसएम (बीसी-ए) श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में दिखाया गया था। परिणाम में, बीसी-ए श्रेणी (ऊर्ध्वाधर आरक्षण) के अंतिम उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक 286 प्रदर्शित किए गए थे। ईएसएम (बीसी-ए) (क्षैतिज ऊर्ध्वाधर आरक्षण) श्रेणी के चयनित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक 315 थे। यह उम्मीदवार इस याचिका में उत्तरदाता संख्या 4 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और उनका प्रतिनिधित्व वकील द्वारा किया गया है।

(4) याचिकाकर्ता प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति प्राप्त करने में विफल रहा। उसने उत्तरदाता आयोग से उनके द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा करने के लिए जानकारी मांगी। याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि उसने 249 अंक (लिखित परीक्षा में 234 + वाईवा वॉयस में 15) प्राप्त किए थे, जिससे वह प्रतीक्षा सूची में नंबर 1 पर आ गया।

(5) याचिकाकर्ता ने इस आधार पर नियुक्ति का दावा किया कि पूर्व सैनिक प्लस बीसी-ए के रूप में चयनित बीसी-ए उम्मीदवार, उत्तरदाता नंबर 4 ने कई बीसी-ए उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक हासिल किए थे। याचिकाकर्ता ने आयोग को बताया कि चयनित ईएसएम (बीसी-ए) श्रेणी के उम्मीदवार ने 315 अंक हासिल किए थे, जो कि आख़िर बीसी-ए श्रेणी के चयनित उम्मीदवार से अधिक है, जिसने 286 अंक हासिल किए थे, उन्हें बीसीए श्रेणी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, 315 अंकों के साथ ईएसएम (बीसी-ए) को बीसी-ए श्रेणी आवंटित की जानी चाहिए क्योंकि उम्मीदवार-उत्तरदाता नंबर 4 को ऊर्ध्वाधर आरक्षण के कारण विचार का अधिकार था, भले ही वह एक पूर्व सैनिक भी रहा हो। उनका सामाजिक जन्मचिह्न उनकी सेवा श्रेणी को अभिभूत कर देगा। इसमें कोई विवाद नहीं है कि ईएसएम उम्मीदवार का मूल्यांकन क्षैतिज आरक्षण के मानदंडों पर किया जाता है जबकि पिछड़ा वर्ग मुख्य लाइन ऊर्ध्वाधर आरक्षण में आता है। जब एक विज्ञापित पद के लिए चयनित ईएसएम (बीसी-ए) उम्मीदवार को बीसी-ए श्रेणी में योग्यता स्थान पर पुनः आवंटित किया जाता है, तो वह ईएसएम (बीसी-ए) श्रेणी में एकल विज्ञापित पद को स्वचालित रूप से खाली कर देगा। इस प्रकार याचिकाकर्ता उत्तरदाता संख्या 4 के स्थानांतरण पर रिक्त होने वाले आरक्षण की ईएसएम (बीसी-ए) श्रेणी के एकल पद पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति का हकदार है।

(6) आयोग के समक्ष कोई सफलता नहीं मिलने पर, याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और ईएसएम (बीसी-ए) श्रेणी में चौथे उत्तरदाता और साथ ही बीसी-ए श्रेणी में योग्यता के क्रम में अंतिम उम्मीदवार के चयन और नियुक्ति को रद्द करने की प्रार्थना की है। ईएसएम (बीसी-ए) श्रेणी में चौथे उत्तरदाता की नियुक्ति को रद्द करने पर, बीसी-ए में चयनित अंतिम उम्मीदवार के स्थान पर बीसी-ए की आरक्षित श्रेणी में उसकी श्रेष्ठ योग्यता के आधार पर चौथे उत्तरदाता को चयनित घोषित किया जाना चाहिए।

(7) 6.12.2010 को नोटिस जारी होने पर, उत्तरदाता आयोग ने लिखित कथन दाखिल करके मामले को लड़ने के लिए उपस्थित हुआ। इसमें

कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता का चयन किया गया और उसे प्रतीक्षा सूची में रखा गया। यह विवादित नहीं है कि प्रतीक्षा सूची को सरकारी निर्देशों दिनांक 7.10.1998 के अनुसार ऐसे मामले में संचालित किया जाना है जहां मुख्य चयन सूची में या किसी भी कारण से खाली रह गई रिक्ति के कारण कोई भी पद का कार्यभार ग्रहण नहीं करता है। **इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992 सप्प. (3) एससीसी 217: एआईआर 1993 एससी 477)** में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय के बाद प्राप्त कानूनी स्थिति विवादित नहीं है, न ही हो सकती है। हालाँकि, यह समझाया गया है कि बीसी-ए और ईएसएम (बीसी-ए) दोनों आरक्षित श्रेणियां हैं और इंदिरा साहनी में निर्धारित सिद्धांत आरक्षित श्रेणी में लागू नहीं है, जिसके अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के अंक से अधिक या बराबर अंक प्राप्त करते हैं। ऐसे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। हालाँकि, आयोग द्वारा दायर किए गए 4 पेज के लिखित कथन में किसी भी परिणाम के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। आयोग योग्यता सूची तैयार करने और प्रतिस्पर्धी श्रेणियों के बीच आरक्षण तय करने के लिए जिम्मेदार था।

(8) एकल में नियुक्त निजी चौथे उत्तरदाता ने एक अलग लिखित कथन दाखिल करके मामले का बचाव किया है। उनका तर्क है कि ईएसएम (बीसी-ए) श्रेणी (याचिकाकर्ता के समान) में योग्यता के आधार पर उनका चयन/नियुक्ति कानूनी और वैध है और इसमें गड़बड़ी नहीं की जा सकती। जाहिर तौर पर वह चयन से संतुष्ट दिख रहे हैं और यह उनके लिए कोई मायने नहीं रखता चाहे उसे वहीं रखा जाए जहां वह पदासीन है या उसे बीसीए उम्मीदवार के रूप में योग्यता सीढ़ी पर लंबवत ऊपर धकेल दिया जाए। इसलिए, इस मामले में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि उनकी नियुक्ति अपवादात्मक है, भले ही उन्होंने चयनित और नियुक्त किए गए अंतिम बीसी-ए उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हों। हालाँकि, यदि उसे ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पर ऊपर धकेल दिया जाता है, तो चौथे उत्तरदाता के ऊपर की ओर बढ़ने को समायोजित करने के लिए अंतिम बीसी-ए श्रेणी के उम्मीदवार को सूची से बाहर करना पड़ सकता है। यदि यह न्यायालय ईएसएम (बीसी-ए) श्रेणी में प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के तर्क से सहमत होता है, तो अगला प्रश्न यह

होगा कि क्या नियुक्ति के तीन साल बाद अंतिम बीसी-ए श्रेणी का उम्मीदवार जिसने 286 अंक हासिल किए, हालांकि याचिकाकर्ता की तुलना में सामान्य योग्यता में अधिक अंक प्राप्त किए, जिसने 249 अंक हासिल किए तो उसकी नियुक्ति में गड़बड़ी करना उचित है ।

(9) यह न्यायालय पहले याचिकाकर्ता के दावे के गुण-दोष और क्या उसकी प्रार्थना उचित है, इस पर विचार करेगा। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल घनघस का तर्क है कि आरक्षण के क्षेत्र में सेवा कानून का एक सामान्य और सार्वभौमिक रूप से स्थापित सिद्धांत यह है कि किसी भी लंबवत आरक्षित श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार पर पहले विवृत प्रतियोगिता में विचार किया जाएगा और उसके बाद, वह उम्मीदवार की योग्यता के अनुसार चयन आयोग द्वारा निर्धारित उसकी योग्यता के अनुसार उसकी अपनी श्रेणी में विचार किया जाएगा ताकि आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत को प्राप्त करने के लिए स्वयं नीति का लाभ आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार तक पहुंचे, जो आरक्षण के उद्देश्य और कारण की पूर्ति करेगा। वह **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ और आर.के.सभरवाल बनाम पंजाब राज्य (1995) 2 एससीसी 745)** और उसके मामले के समर्थन में मामलों की श्रृंखला पर आश्रय है। रिट याचिका में यह दलील दी गई है जिस पर तर्क इस प्रकार आधारित है:-

> "परिणाम में, बीसी-ए श्रेणी के अंतिम उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक 286 दिखाए गए थे और ईएसएम (बीसी-ए) श्रेणी में चयनित उम्मीदवार को 315 अंक प्राप्त हुए थे। सेवा नियमों के अनुसार, सामान्य नज़ीर और तय कानून की अदालतों द्वारा कानून के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार, जो उम्मीदवार योग्यता में उच्चतर है, उसे उसकी योग्यता के अनुसार विवृत श्रेणी में माना जाना चाहिए और उसके बाद उसे उसकी आरक्षित श्रेणी के लिए विचार किया गया। इसलिए, उम्मीदवार ईएसएम (बीसी-ए) श्रेणी में चयनित दर्शाए गए व्यक्ति को पहले उसकी योग्यता के अनुसार बीसी-ए श्रेणी के तहत नियुक्ति दी जानी चाहिए और उसके बाद बीसी-ए श्रेणी में भूतपूर्व सैनिकों में से व्यक्ति को नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए।"

(10) इसलिए, सार्वजनिक सेवा में नियुक्तियों और नियुक्तियों में आरक्षण की संवैधानिक योजना में अनुक्रमिक क्रम इस प्रकार चलेगा; एक उम्मीदवार जो बीसी-ए और ईएसएम (बीसी-ए) दोनों है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों का संयोजन है, उसे पहले अपनी योग्यता के आधार पर विवृत सामान्य श्रेणी में विचार करना होगा और उसके बाद, अपने संबंधित आरक्षित वर्ग में उस श्रेणी में योग्यता के क्रम में विचार करना होगा।

(11) श्री घनघास की शिकायत है कि उत्तरदाता आयोग ने सभी श्रेणियों में सभी अभ्यर्थी के अंक प्रदर्शित नहीं किये हैं। सरकार को में भेजी गई मेरिट क्रम से चयनित अभ्यर्थियों की सूची से यह भी पता चलता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी (पी-5) के समक्ष कोई अंक अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि उपरोक्त सूची (पी-5) से, यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता संख्या 4 को बीसी-ए उम्मीदवारों से ऊपर क्रमांक 20 पर रखा गया है और 8वें उत्तरदाता को बीसी-ए श्रेणी की मेरिट में अंतिम स्थान पर रखा गया है। इसका मतलब यह है कि, उत्तरदाता नंबर 4 बीसी-ए श्रेणी में सबसे अधिक योग्यतर है और इस प्रकार उसे पहले ऐसी इस श्रेणी के तहत माना जाना चाहिए था और बीसी-ए श्रेणी में अंतिम उम्मीदवार को प्रतीक्षा सूची में नंबर 1 पर रखा जाना चाहिए था। इस प्रकार, प्रतिस्थापन सिद्धांत पर चौथे उत्तरदाता को आगे बढ़ाने के सिद्धांत पर याचिकाकर्ता को ईएसएम (बीसी-ए) श्रेणी के एकल पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हो सकता है, जो उत्तरदाता आयोग की कार्रवाई को मनमाना और भेदभावपूर्ण बना देगा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और न्यायाधीश द्वारा बनाए गए उदाहरणों के खिलाफ हो जाएगा।

(12) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को काफी विस्तार से सुना है, जिसमें संभावित याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार होने की स्थिति में प्रभावित-उत्तरदाता नंबर 8 के अधिवक्ता श्री अश्वनी अंतिल की दलीलें भी शामिल हैं।

(13) याचिकाकर्ता के लिए श्री घनघास, इस न्यायालय के डिवीजन बेंच के निर्णय पर निर्भर हैं जो हैं **अजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2012 (1) आरएसजे 433)**, जिसमें इस न्यायालय ने कानून के निम्नलिखित सिद्धांतों को निकाला गया, भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रदान किए गए आरक्षण की प्रकृति पर एक मामले से निपटान करते समय और क्या ऐसा आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (3) और 16 (4) द्वारा अपेक्षित सामाजिक आरक्षण हैं या विशेष आरक्षण होगा और अग्रसर क्या जो पद आरक्षित हैं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लिए पदों को ऊर्ध्वाधर आरक्षण पर लागू कानून द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करके या क्षैतिज आरक्षण के मामलों में अपनाई गई विधि द्वारा भरा जाना चाहिए। खंडपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय और इस अदालत के कई फैसलों पर विचार किया, जिसमें **राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग और अन्य (2007) 8 एससीसी 785)** में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी शामिल है, जिसे बाद में श्री नेहरा राज्य और आयोग की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार करते समय विज्ञापित कर दिया जाएगा। **अजीत सिंह मामले** में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत निकाले गए: -

(i) शारीरिक रूप से विकलांगों, पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और महिलाओं आदि के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण है।

(ii) क्षैतिज आरक्षण से संबंधित उम्मीदवार निम्नलिखित तरीके से ऊर्ध्वाधर आरक्षण में कटौती करेंगे:

(ए) सबसे पहले विवृत श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सीटें योग्यता के आधार पर भरी जाएंगी;

(बी) दूसरे, ऊर्ध्वाधर आरक्षित श्रेणियों के लिए सीटें उनके अपने कोटे में योग्यता के आधार पर भरी जाएंगी;

(सी) तीसरा, क्षैतिज आरक्षित श्रेणी से संबंधित और ऊर्ध्वाधर आरक्षित श्रेणी के भीतर आने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बराबर सीटें

ऊर्ध्वाधर आरक्षित श्रेणी में खपत की जाएंगी। ऊर्ध्वाधर आरक्षित श्रेणी में नीचे का उम्मीदवार उसके लिए रास्ता बनाएगा;

(डी) चौथा, यदि क्षैतिज आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई उम्मीदवार आरक्षण की किसी भी श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो विवृत श्रेणी का उम्मीदवार ऐसी आरक्षित श्रेणी के लिए रास्ता बनाएगा ताकि क्षैतिज आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित सीटों का कोटा पूरा किया जा सके।

(ई) अंत में, महिला उम्मीदवारों के मामले में, जो विशेष आरक्षण या सामाजिक आरक्षण में से किसी एक के अंतर्गत आती हैं, ऐसे उम्मीदवार को महिला और सामाजिक आरक्षण दोनों के लिए कोटा निर्धारित करने के लिए विचार किया जाएगा।

(14) श्री सुनील नेहरा, वरिष्ठ डीएजी, हरियाणा, दूसरी ओर, राजेश कुमार दरिया मामले (सुप्रा) पर आश्रय हैं , जिसे अजीत सिंह मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा देखा गया और निपटाया गया।

(15) श्री नेहरा ने न्यायालय में निर्णय के पैराग्राफ 5 से 7 को बहुत जोर देकर पढ़ा है जो पुनरुत्पादन के योग्य है: -

5. महिलाओं से संबंधित आरक्षण प्रावधान सही ढंग से लागू किया गया था या नहीं, इसकी जांच करने से पहले, क्षैतिज आरक्षण की प्रकृति और इसके आवेदन के तरीके का उल्लेख करना फायदेमंद होगा। **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ में [1992 सप्लि. (3) एससीसी 217]** में, क्षैतिज आरक्षण के सिद्धांत को इस प्रकार समझाया गया (पर:812):

> ".....सभी आरक्षण एक ही प्रकृति के नहीं हैं। आरक्षण दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें सुविधा के लिए 'ऊर्ध्वाधर आरक्षण' और 'क्षैतिज आरक्षण' कहा जा सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण [(अनुच्छेद 16(4) के तहत) को ऊर्ध्वाधर आरक्षण कहा जा सकता है जबकि

शारीरिक रूप से विकलांगों (अनुच्छेद 16 के खंड (1) के तहत) के पक्ष में आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण कहा जा सकता है। क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षणों में कटौती करता है - जिसे इंटरलॉकिंग आरक्षण कहा जाता है। अधिक सटीक होने के लिए, मान लें कि 3% रिक्तियां शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षित हैं; यह अनुच्छेद 16 के खंड (1) से संबंधित आरक्षण होगा।कोटा के अंतर्गत चयनित व्यक्तियों को आवश्यक समायोजन करके उस कोटा में रखा जाएगा: इसी प्रकार, यदि वह विवृत प्रतिस्पर्धा (ओसी) श्रेणी से संबंधित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके उस श्रेणी में रखा जाएगा। इन क्षैतिज प्रावधानों के बाद भी आरक्षण, नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण का प्रतिशत वही रहता है और रहना चाहिए।"

रोजगार के संबंध में अनुच्छेद 15(3) के तहत महिलाओं के लिए बनाया गया एक विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 16(4) के तहत सामाजिक आरक्षण के विपरीत एक विशेष आरक्षण है। विशेष आरक्षण को लागू करने की विधि, जो एक क्षैतिज आरक्षण है, ऊर्ध्वाधर आरक्षणों को काटती है, इस न्यायालय द्वारा **अनिल कुमार गुप्ता बनाम यूपी राज्य [1995 (5) एससीसी 173]** में समझाया गया था और वह इस प्रकार हैं :

"...उचित और सही प्रक्रिया हैं कि पहले योग्यता के आधार पर विवृत प्रतिस्पर्धा कोटा (50%) भरना है; फिर प्रत्येक सामाजिक आरक्षण कोटा, यानी, एस.सी., एस.टी. और बी.सी. भरना है; तीसरा चरण यह पता लगाना होगा कि उपरोक्त आधार पर विशेष आरक्षण से संबंधित कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया है। यदि क्षैतिज आरक्षण के लिए निर्धारित कोटा पहले से ही संतुष्ट है - यदि यह समग्र क्षैतिज आरक्षण है - तो कोई और प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन यदि यह नहीं है और इस प्रकार संतुष्ट होने पर, विशेष आरक्षण वाले उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या लेनी होगी और उनमें से संबंधित सामाजिक आरक्षण श्रेणियों में से उम्मीदवारों की संख्या को हटाकर उन्हें समायोजित करना होगा।

(यदि, हालांकि, यह विभाजित क्षैतिज आरक्षण का मामला है, तो जैसा कि ऊपर बताया गया है, सत्यापन और समायोजन की प्रक्रिया प्रत्येक ऊर्ध्वाधर आरक्षण के लिए अलग से लागू की जानी चाहिए। ऐसे मामले में, विशेष श्रेणियों के पक्ष में कुल मिलाकर पंद्रह प्रतिशत का आरक्षण संतुष्ट हो सकता है या संतुष्ट नहीं हो सकता है।)" [अवधारण दिया गया]

6. इस मामले के तथ्यों पर विचार करने से पहले हम दो संबंधित पहलुओं का भी उल्लेख कर सकते हैं। पहला क्षैतिज आरक्षण के विवरण के बारे में है। उदाहरण के लिए, यदि 200 रिक्तियां हैं और 15% एससी के लिए ऊर्ध्वाधर आरक्षण है और 30% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण है, तो एससी के लिए आरक्षित पदों की संख्या का उचित विवरण होना चाहिए: "एससी के लिए: 30 पद, जिनमें से 9 पद महिलाओं के लिए हैं।'' हम पाते हैं कि कई बार इसका गलत वर्णन इस प्रकार किया जाता है:

"एससी के लिए: पुरुषों के लिए 21 पद और महिलाओं के लिए 9 पद, कुल 30 पद"। जाहिर है, 'पुरुष' या 'महिला' की कोई आरक्षण श्रेणी नहीं है और न ही हो सकती है।"

7. दूसरा ऊर्ध्वाधर आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण की प्रकृति के बीच अंतर से संबंधित है। अनुच्छेद 16(4) के तहत एससी, एसटी और ओबीसी के पक्ष में सामाजिक आरक्षण 'ऊर्ध्वाधर आरक्षण' है। अनुच्छेद 16(1) या 15(3) के तहत शारीरिक रूप से विकलांगों, महिलाओं आदि के पक्ष में विशेष आरक्षण 'क्षैतिज आरक्षण' हैं। जहां अनुच्छेद 16(4) के तहत पिछड़े वर्ग के पक्ष में ऊर्ध्वाधर आरक्षण किया जाता है, ऐसे पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार गैर-आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और यदि वे अपनी योग्यता के आधार पर गैर-आरक्षित पदों पर नियुक्त होते हैं, तो उनकी संख्या संबंधित पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कोटा में नहीं गिना जाएगा। इसलिए, यदि एससी उम्मीदवारों की संख्या, जो अपनी योग्यता के आधार पर विवृत प्रतियोगिता रिक्तियों के लिए चुने जाते हैं, एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के प्रतिशत के बराबर या उससे भी अधिक है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि एससी के लिए

आरक्षण कोटा भर गया है। विवृत प्रतिस्पर्धा श्रेणी के तहत चयनित लोगों के अलावा संपूर्ण आरक्षण कोटा बरकरार और उपलब्ध रहेगा। देखिए - इंदिरा साहनी (सुप्रा), आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य (1995 (2) एससीसी 745), भारत संघ बनाम वीरपाल सिंह चौहान (1995 (6) एससीसी 684) और रितेश आर. साह बनाम डॉ. वाई.एल. यमुल (1996 (3) एससीसी 253)]। लेकिन ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) आरक्षण पर लागू उपरोक्त सिद्धांत क्षैतिज (विशेष) आरक्षण पर लागू नहीं होगा। जहां अनुसूचित जाति के लिए सामाजिक आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण प्रदान किया जाता है, वहां कोटा भरने के लिए सबसे पहले उचित प्रक्रिया होती है योग्यता के क्रम में अनुसूचित जातियां और फिर उनमें से उन उम्मीदवारों की संख्या का पता लगाएं जो 'अनुसूचित जाति-महिला' के विशेष आरक्षण समूह से संबंधित हैं। यदि ऐसी सूची में महिलाओं की संख्या विशेष आरक्षण की संख्या के बराबर या उससे अधिक है कोटा, तो विशेष आरक्षण कोटा के लिए आगे चयन की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल यदि कोई कमी है, तो अनुसूचित जाति से संबंधित सूची के नीचे से संबंधित संख्या में उम्मीदवारों को हटाकर अनुसूचित जाति की महिलाओं की अपेक्षित संख्या लेनी होगी। इस सीमा तक क्षैतिज (विशेष) आरक्षण भिन्न है ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) आरक्षण से। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर आरक्षण कोटा के भीतर योग्यता के आधार पर चयनित महिलाओं को महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के लिए गिना जाएगा। आइये एक उदाहरण से समझते हैं:-

> यदि 19 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं (जिनमें महिलाओं के लिए कोटा चार है), सफल पात्र अभ्यर्थियों में से 19 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को योग्यता के अनुसार पहले सूचीबद्ध करना होगा। यदि 19 उम्मीदवारों की ऐसी सूची में चार एससी महिला उम्मीदवार शामिल हैं, तो किसी और एससी महिला उम्मीदवार को शामिल करके सूची में गड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, यदि 19 एससी उम्मीदवारों की सूची में केवल दो महिला उम्मीदवार शामिल हैं, तो योग्यता के अनुसार अगली दो एससी महिला उम्मीदवारों को सूची में शामिल करना होगा और ऐसी सूची के नीचे से संबंधित

संख्या में उम्मीदवारों को हटाना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम 19 चयनित एससी उम्मीदवारों में चार महिला एससी उम्मीदवार शामिल हैं। लेकिन यदि 19 एससी उम्मीदवारों की सूची में चार से अधिक महिला उम्मीदवार शामिल हैं जो कि स्वयं की योग्यता के आधार पर चयनित हैं, वे सभी सूची में बने रहेंगे और अतिरिक्त महिला उम्मीदवार को इस आधार पर हटाने का कोई सवाल ही नहीं है कि 'एससी-महिलाओं' का चयन चार के निर्धारित आंतरिक कोटा से अधिक में किया गया है।/

(16) श्री नेहरा का कहना है कि उपरोक्त उदाहरण में, 'एससी' उम्मीदवार को 'बीसी-ए' और 'महिला' को 'ईएसएम' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। यह बिना कहे चला जाता है। उनके मामले में जोरदार तर्क दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया उदाहरण इस मामले पर लागू होता है क्योंकि ऊर्ध्वाधर आरक्षण कोटा के भीतर योग्यता के आधार पर चुने गए पूर्व सैनिकों को ईएसएम के लिए क्षैतिज आरक्षण में गिना जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों द्वारा 'महिलाओं' को प्रतिस्थापित करके परिणाम आसानी से प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि दोनों विशेष आरक्षण की प्रकृति में क्षैतिज होने के समान विशिष्टताओं से संबंधित हैं। दरिया के मामले में, सवाल यह उठा कि जब नियमों में महिलाओं के लिए 20% श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण निर्धारित किया गया था, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट की चयन सूची तैयार करते समय ऊर्ध्वाधर आरक्षण के सिद्धांतों को गलत तरीके से लागू किया था और कोटा, से अधिक महिलाओं का चयन किया था, जिससे अपीलकर्ताओं और अन्य पुरुष उम्मीदवार के चयन से इंकार कर दिया गया। तब से ओबीसी और पुरुष उम्मीदवार व्यथित थे क्यूँकि उन्होंने चयनित महिला अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किये थे और वे चयनित और नियुक्त किये जाने के योग्य थे।

(17) मैंने डारिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उदाहरण पर बहुत विचार किया है, यह देखने के लिए कि यह श्री नेहरा के तर्कों पर कैसे फिट बैठता है। इसमें और डारिया के मामले में अंतर यह है कि

ईएसएम (बीसी-ए) का विज्ञापित पद ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण दोनों का एक संयोजन है, जो स्थिति सीधे तौर पर उत्पन्न नहीं हुई थी निर्णय के लिए उपरोक्त मामला में। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि स्टेयर डिसिसिस क्या है, जिसमें अदालत वास्तव में प्रस्तुत तथ्यों पर निर्णय लेती है, न कि मामले से निहितार्थ के आधार पर, जब तक कि अदालत सार्वभौमिक अनुप्रयोग के कानूनी सिद्धांत पर निर्णय नहीं लेती है और उस मामले में अनुपात बाध्यकारी है और सभी न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करना होगा। ऐसा कहना कोई तर्क नहीं होगा संयोजन में लागू संबंधित आरक्षणों में से कौन सा पहले आता है और आरक्षण वास्तव में किसके लिए था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।मुझे लगता है कि अगर विज्ञापित पद ईएसएम (बीसी- ए) या बीसी-ए (ईएसएम) द्वारा भरा जाए तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सामाजिक आरक्षण समग्र योग्यता के आधार पर अग्रिम सीट पर रहता है न कि विशेष आरक्षण के बैक बर्नर पर। राज्य आखिरकार उस संयोजन और उद्देश्य की तलाश कर रहा था जिसे याचिकाकर्ता को नियुक्त किए जाने पर हासिल किया जाना था। उत्तरदाता क्रमांक 4 को क्षैतिज आरक्षण से मुक्त किया जायेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता पिछड़ा वर्ग-ए से है। वह एक भूतपूर्व सैनिक भी है। मेरे विचार से सामाजिक आरक्षण को विशेष आरक्षण पर प्राथमिकता दी जाएगी और यह योग्यता सूची पर हावी होगा और तदनुसार आने वाली नियुक्तियों इसी आधार पर तैयार की जायेगी। देखने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि क्या उत्तरदाता संख्या 4 को पूर्व सैनिक होने के बावजूद सामाजिक आरक्षण में विचार का अधिमान्य अधिकार था। याचिकाकर्ता और उत्तरदाता संख्या 4, दोनों का आरक्षण की एक ही और समान श्रेणी से संबंधित हैं, जो कि आरक्षण के भीतर आरक्षण है या इसे दूसरे तरीके से कहें तो; अनुच्छेद 16 (3) और (4) के तहत सामाजिक आरक्षण को अनुच्छेद 15 के तहत विशेष आरक्षण के साथ जोड़ा गया है। संविधान के अनुच्छेद 16 (3) और (4) द्वारा सक्षम प्रभावी आरक्षण की उपस्थिति में जाति के जन्मचिह्न को बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह विवादित नहीं है कि उत्तरदाता संख्या 4 ने 315 अंक हासिल किए थे, जबकि पिछले बीसी-ए उम्मीदवार ने 286 (उत्तरदाता नंबर 8) हासिल किए थे। इसलिए, उत्तरदाता नंबर 4 बीसी-ए की श्रेणी में योग्यता में श्रेष्ठ था और बीसी-ए की श्रेणी में पहले स्थान पर रखे जाने का हकदार था। जब उस योग्यता प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो ईएसएम (बीसी-ए)

श्रेणी के एक पद की विज्ञापित रिक्ति उत्तरदाता नंबर 4 द्वारा अपने वर्चस्व वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण में ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पर चढ़ने से खाली हो जाएगी। यदि यह सत्य और सही स्थिति होती, तो दिनांक 7.10.1998 के निर्देश याचिकाकर्ता के रास्ते में नहीं आते। भले ही ऐसा हो कि उत्तरदाता नंबर 4 ने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है और कोई रिक्ति खाली नहीं है, लेकिन वर्तमान में रिक्ति खाली रहने या अगली भर्ती प्रक्रिया के लिए पद के उपभोग को आगे बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि क़ानूनन काल्पनिक मानकर, उत्तरदाता नंबर 4 ने ईएसएम (बीसी-ए) के पद का उपभोग नहीं किया है, जिस पर वह वर्तमान में इस याचिका की सफलता की स्थिति में नियुक्त किया गया है। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि राजेश कुमार दरिया का मामला उस मामले में आयोग या राज्य को कैसे मदद करता है। आरक्षण को क्लब करने के मामले में, जो एक व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों आरक्षण का लाभ प्रदान करता है, उसकी ऊर्ध्वाधर स्थिति को पहले इंदिरा साहनी और सभरवाल मामलों के आवेदन द्वारा कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि योग्यता स्वयं एक सापेक्ष शब्द है जिसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं है और इसे वर्ग या समूह की योग्यता के चश्मे से देखा जाता है और वर्गीकरण उसी के अनुसार किया जाता है। योग्यता आमतौर पर निष्पक्ष चयन के लिए अपनाया जाने वाला मानदंड है, लेकिन जब हम राज्य द्वारा एक विशिष्ट श्रेणी या व्यक्तियों के वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण और रियायतों से निपटते हैं, जो कि प्राचीन काल से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े और ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए हैं, फिर योग्यता को श्रेणीवार समझना होगा जब प्रत्येक ऊर्ध्वाधर आरक्षित उम्मीदवार को ओपन जनरल श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने का उचित मौका दिया जाता है तब या योग्यता के अनुसार उसके सामाजिक आरक्षण के भीतर। **एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) 8 एससीसी 212)** में, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने योग्यता की व्याख्या की:

> "45. योग्यता एक निश्चित पूर्ण अवधारणा नहीं है। केनेथ एरो द्वारा संपादित पुस्तक मेरिटोक्रेसी एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी में अमर्त्य सेन बताते हैं कि योग्यता एक आश्रित विचार है और इसका अर्थ इस बात पर निर्भर करता है कि कोई समाज एक वांछनीय कार्य को कैसे परिभाषित करता है। एक कार्य एक समाज में योग्यता दूसरे समाज में

समान नहीं हो सकती है। कठिनाई यह है कि हमारी मूल्य प्रणाली से स्वतंत्र "योग्यता" का कोई प्राकृतिक क्रम नहीं है। योग्यता की सामग्री संदर्भ-विशिष्ट है। इसका अर्थ प्राप्त होता इसकी विशेष परिस्थितियों एवं प्रयोजनों से है। "योग्यता" पर किसी भी सकारात्मक कार्रवाई नीति का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वह नीति कैसे डिज़ाइन की गई है। दुर्भाग्य से, वर्तमान मामले में, इस बिंदु पर हमारे सामने बहस एक अनुभवजन्य शून्य में हुई है। हालाँकि, मूल धारणा यह बनी हुई है कि यह राज्य है जो योग्यता को परिभाषित करने और मापने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है, चाहे वह इसे सार्वजनिक रोजगार के लिए प्रासंगिक मानता हो क्योंकि अंततः उसे ही योग्यता को परिभाषित करने और मापने में त्रुटियों से उत्पन्न होने वाली लागत वहन करनी होगी। इसी प्रकार, "आरक्षण की सीमा" की अवधारणा एक पूर्ण अवधारणा नहीं है और योग्यता की तरह यह संदर्भ-विशिष्ट है।"

(18) इसलिए, मैं आयोग या राज्य की ओर से श्री नेहरा द्वारा प्रतिपादित विचारों से सहमत नहीं हूँ कि यदि याचिकाकर्ता को नियुक्त किया जाता है, तो इससे सेवा की समग्र योग्यता कम हो जाएगी या प्रशासन की दक्षता से समझौता हो जाएगा। आरक्षण आख़िरकार स्वाभाविक रूप से योग्यता-विरोधी है, लेकिन इसे संवैधानिक सक्षमता, शासनादेशों के संचालन द्वारा उचित वर्गीकरण और संरक्षण प्राप्त है, जिसके मानदंड निर्धारित किए गए हैं और हमारी समझ के लिए शीर्ष स्तर पर और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए दूरगामी उदाहरणों की एक श्रृंखला द्वारा परिशोधन में संवैधानिक न्यायालयों द्वारा लगातार आकार और पुनः आकार दिया गया।

(19) आयोग द्वारा इस पर कोई विवाद नहीं किया गया कि याचिकाकर्ता को प्रतीक्षा सूची में रखा गया था। चूंकि याचिकाकर्ता 2010 से अदालत में अपनी उचित मांग को लेकर है, इसलिए मेरा मानना है याचिकाकर्ता के साथ अन्याय हुआ है आयोग द्वारा और इसलिए राज्य सरकार द्वारा भी न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित आरक्षण के कानून का दुरुपयोग हुआ हैं और इसलिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप के माध्यम से संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

(20) उपरोक्त कारणों से, इस रिट याचिका को अनुमति दी जाती है। आयोग द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची (पी-1) को इस आदेश के अनुसार संशोधित करने का निर्देश दिया गया है। नतीजन, चौथे उत्तरदाता को उसकी अपनी सामान्य योग्यता के अनुसार बीसीए श्रेणी में फिट किया जाएगा। इसके बाद उत्तरदाता उपर्युक्त उत्तरदाता संख्या 4 को स्थानांतरित करके याचिकाकर्ता को खाली किए गए ईएसएम (बीसी- ए) श्रेणी के एकल पद की पेशकश करने पर विचार करेंगे। नियुक्ति पर याचिकाकर्ता को अपने बैच साथियों से वरिष्ठता आदि तो मिलेगी लेकिन ज्वाइनिंग से पहले की अवधि के लिए वेतन नहीं मिलेगा। हालाँकि, इस प्रक्रिया में उत्तरदाता नंबर 8 को परेशान नहीं किया जाएगा। मेरे विचार से उनकी नियुक्ति को बिना उसकी गलती के तीन साल बाद रद्द करना संभव नहीं है। इक्विटी को संतुलित करने के लिए यह आदेश दिया जाता है कि उत्तरदाता संख्या 8 को उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग, हरियाणा में कराधान निरीक्षकों के कैडर में मौजूदा रिक्ति के खिलाफ समायोजित किया जाएगा, और यदि यह किसी भी कारण से संभव नहीं है तो एक अधिसंख्य पद का सृजन द्वारा किया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ऋतु तंवर

प्रिशक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हरियाणा न्यायिक सर्विसेज़